भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3509
10 दिसम्बर, 2019 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

3509. श्री विवेक नारायण शेजवलकर:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि ग्वालियर के पोहारी क्षेत्र में टमाटर अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है और समीपवर्ती क्षेत्रों में कोई औद्योगिक इकाई नहीं है वहां खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित है कि किसान लाभान्वित हों और युवाओं को रोजगार प्राप्त हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या किसी विशेष योजना के अतंर्गत ऐसी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए राजसहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वंय नहीं करता है ।

(ख)और(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/ विस्तार के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। स्कीम के अतंर्गत सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम समेत), हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड) समेत दुर्गम क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्रों (लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर), अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों, द्वीप समूहों (लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) और अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आवेदकों को पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से परन्तु अधिकतम 5.00 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता की परिकल्पना की गई है ।

इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय टमाटर, प्याज तथा आलू (टीओपी) की मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए एक नई केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम- ''ऑपरेशन ग्रीन्स'' का भी कार्यान्वयन कर रहा है । ऑपरेशन ग्रीन्स के अतंर्गत मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले को टमाटर की फसल के एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास हेतु क्लस्टरों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया है ।

इन स्कीमों के अतंर्गत प्रस्तावों को मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किया जाता है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इच्छुक उद्यमियों/निवेशकों से ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी किया है । ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 31.12.2019 है । इन स्कीमों के अंतर्गत इच्छुक उद्यमी/निवेशक संबंधित स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

*****